कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य- 02/2025 **दिनांक 09/02/2025**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

अपने पत्र संख्याःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यो एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 08.02.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना दुल्लहपुर पुलिस टीम द्वारा हिन्दु धर्म एवं स्नान पर्व महाकुम्भ के सम्बन्ध मे आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 08.02.2025 को थाना दुल्लहपुर पुलिस टीम द्वारा बृजेश बौध्द @brijeshbharti007 के द्वारा अपने इंस्टाग्राम आईडी पर महाकुम्भ पाप धुलाई सेन्टर हमारे यहाँ हर प्रकार के पाप बलात्कार, चोरी, हत्या,धोखाधडी,भ्रष्टाचार आदि की धुलाई की सुविधा उपलब्ध है। महाकुम्भ तथा हिन्दु धर्म को लेकर की गयी अभद्र टिप्पणी (जिसका सोशल मीडिया पर वायरल था) के संबंध में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-14/25 धारा 353(2)बीएनएस पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त प्रकरण से सम्बन्धित अभियुक्त बृजेश भारती पुत्र अवधेश राम नि0 चकमलूक थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर को उसके घर से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. बृजेश भारती पुत्र अवधेश राम नि0 चकमलूक थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर

02. थाना मरदह पुलिस टीम द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पर अर्मयादित गलत टिप्पणी करने वाले 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 08.02.2025 को थाना मरदह पुलिस टीम द्वारा फेसबुक आईडी संजय यादव द्वारा अपने फेसबुक पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पर अर्मयादित गलत टिप्पणी (किन्नर अखाड़े का आदमी परिधान मंतरी बनेगा तो होगा क्या ?)कर आम जनमानस की भावनाओं को ठेस पहूँचाया गया (जिसका सोशल मीडिया पर वायरल था) के संबंध में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-32/2025 धारा 353(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया। उपरोक्त प्रकरण से सम्बन्धित संजय यादव पुत्र स्व0 सत्यदेव यादव निवासी ग्राम जुझारपुर थाना मरदह जनपद गाजीपुर को जुझारपुर रोड से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. संजय यादव पुत्र स्व0 सत्यदेव यादव निवासी ग्राम जुझारपुर थाना मरदह जनपद गाजीपुर

<u>03. थाना नोनहरा ग्राम लावा की घटना में संलिप्त अभियुक्त शब्बीर अहमद पुत्र स्व0 कबीर अहमद के विरूद्ध की गई रासुका की कार्यवाही-</u>

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 07.12.2024 को थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लावा में बर्तन के दुकानदार शब्बीर अहमद पुत्र स्व0 कबीर अहमद निवासी ग्राम लावा थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर द्वारा अपनी बर्तन की दुकान में अल्पवयस्क बालिका को बंधक बनाकर दुष्कर्म किया गया था । घटना के संबंध में थाना नोनहरा पर मु0अ0सं0-206/2024 धारा 65(1)/109(1)/127(2) बी0एन0एस0 व 5L/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया । घटना के कारण आमजनमानस में व्याप्त जनाक्रोश तथा आमजनमानस में फैले हुए दहशत एवं भय का माहौल हो गया लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गयी थी । कई दिनों तक लावा बाजार की दुकाने बन्द, रही दहशत व भय के कारण अभिभावक अपने बच्चों एवं बच्चियों को घर से बाहर निकलना बन्द कर दिये थे । हिन्दु व मुस्लिम के बीच में सम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया था शांन्ति व्यवस्था की कठिन समस्या उत्पन्न हो गयी थी ।कई दिनों तक पुलिस फोर्स ग्राम लावा में शांन्ति व्यवस्था ड्यूटी में लगी रही । अभियुक्त शब्बीर अहमद उपरोक्त का यह अपराध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 की उपधारा (iii) के अन्तर्गत पाकर थानाध्यक्ष नोनहरा द्वारा अभियुक्त शब्बीर अहमद पुत्र स्व0 कबीर अहमद निवासी ग्राम लावा थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर के विरुद्ध रासुका की कार्यवाही की गई।

<u>अभियुक्त का नाम व पताः-</u>

1. शब्बीर अहमद पुत्र स्व0 कबीर अहमद निवासी ग्राम लावा थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर